न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2021(2021/468)

1. बीरमा पुत्र रामदेव बैरवा।
2. रतनी पुत्री रामदेव बैरवा।
3. रामनिवास पुत्र रामदेव बैरवा।
4. लाडा पुत्री रामदेव बैरवा।
5. सुवा सुत्र रामदेव बैरवा।

सभी निवासीगण ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री पवन सिंह भाटी — वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 30.9.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी की आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
235—171	978	0.54हैक्टर	चाही 2
	किता 1	रकबा 0.54हैक्टर	

प्रार्थी की उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 746 में से होकर आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है ये ही एकमात्र रास्ता है उक्त खसरा नंबर की आराजी में आने जाने व उपयोग, उपभोग में तथा वादीगण को कृषि यंत्रों को लाने ले जाने, आराजी को जोतने, फसल काश्त करने, आराजी की रखवाली करने भरी गाडिंया लाने ले जाने के लिए करता आ रहा है वादीगण इस कदीमी रास्ते का उपयोग वर्षो से करता चला आ रहा है पडोसियो द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ते की इस भूमि मे से आने जाने नही दिया जा रहा है जिससे वादीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने व आराजी खसरा नंबर 746 में से 20 फीट रास्ता डी.एल.सी रेट से दिलवाया जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार है–

1. ग्राम उगानखेडा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 में स्थायी खाता संख्या 235 के खसरा नंबर 978/0.54 बीरमा हिस्सा 1/5, रामनिवास हिस्सा 1/5, सुवा हिस्सा 1/5, रतनी हिस्सा 1/5 पिता रामदेव कौम बैंक रहन भूमि विकास बैंक केकडी के नाम दर्ज है।
2. मुताबिक फर्द मौका पर्चा अनुसार वादी ग्राम उगानखेडा के सिवायचक खसरा नंबर 743/4.02गै.मु.नाला की उचाई की पडत भूमि से आना जाना करता रहा है तथा आस–पास कटानी रास्ता नही है तथा वांछित रास्ता के खसरा नंबर 746/0.17 किस्मा बारानी 3 सिवायचक खाते में दर्ज है जो कि वादीगण के खेत से 250 मीटर दूरी पर स्थित है वादीगण द्वारा कटानी रास्ता नही होने से पडौसी खातेदार को पार्टी नही बनाया गया है गै.मु.नाला के खसरा नंबर 743/4.02 के मौके पर सघन बिलायती बबूल लगे हुए है।
3. वादी को मौके पर बिलायती बबूल हाने हेतु ग्राम पंचायत से संपर्क करने हेतु समझाइस की गई। जिससे आवागमन सुगम हो सके। खसरा नंबर 743/4.02 किस्म गै.मु.नाला होने से रास्ता निर्धारण संभव नही है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 978 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 743 गै.मु.नाला की उचाई की पडत भूमि से आना जाना होता है आस पास कटानी रास्ता नही है तथा वांछित रास्ता के खसरा नंबर 746 किस्म बारानी 3 सिवायचक खाते में दर्ज है ो कि वादीगण के खेत से 250 मीटर दूरी पर स्थित है वादीगण द्वारा कटानी रास्ता नही होने से पडौसी खातेदार को पार्टी नही बनाया गया है गै.मु.नाला के खसरा नंबर 743 के मौके पर सघन बिलायती बबूल उगे हुए है अतः खसरा नंबर 743 किस्म गै.मु.नाला होने से रास्ता निर्धारण संभव नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का अस्वीकार योग्य पाया जाता है

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट अन्तर्गत प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 978 में आने जाने हेतु सिवायचक खसरा नंबर 743 गै.मु. नाला की उचाई की पडत भूमि से आना जाना करता है उक्त खसरा नंबर 743 किस्म गै. मु.नाला होने व गै.मु.नाला के खसरा नंबर 743 प्रतिबंधित होने से रास्ता निर्धारण संभव नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner